

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2015-16/ दिनांक

संशोधित विज्ञप्ति

निदेशालय द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयन हेतु सत्र 2015-16 के लिए जारी विज्ञप्ति क्रमांक 1679 दिनांक 30.12.2015 के क्रम संख्या 4 में आरक्षण के भाग में विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को "1 प्रतिशत आरक्षण देय होगा" वाक्य अंकित हो गया, जिसके स्थान पर "5 प्रतिशत आरक्षण देय होगा" पढा जावे।

विज्ञप्ति की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

६७


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./2015-16/ 53

दिनांक 19-1-16

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रवेश हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में किये गये संशोधन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावे।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त जिला रोजगार अधिकारियों को संशोधन की प्रति संलग्न कर लेख है कि इनको आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावे।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर